

कार्यालय सहायक पंजीयक फर्म्स एवं
संस्थाएँ
माधव क्लब रोड़ फ्रीगंज उज्जैन

सूचना का अधिकार के अधिनियम के तहत 17 बिन्दुओं की जानकारी

दूरभाष-2561168

कार्यालय सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएँ
माधव क्लब रोड फ्रीगंज उज्जैन

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) के तहत 17 बिन्दुओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

- (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) की बिन्दु 1 की जानकारी :-
कार्यालय का नाम :- सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएँ उज्जैन संभाग उज्जैन
कार्यालय का पता :- माधव क्लब रोड फ्रीगंज उज्जैन
दूरभाष क्रमांक :- 0734 - 2561168

कार्यालय की संचरना :-

सहायक पंजीयक

निरीक्षक

आडीटर

आडिटर

सहायक ग्रेड - 2

सहायक ग्रेड - 3

भृत्य

प्रोसेस सर्वेन्ट

फर्राश

चौकीदार

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत कार्य करना , कार्य एवं कर्तव्य :-

सरल क्रमांक	इकाई	किये जाने वाले कार्य	अन्य
1	प्रशासनिक	<p>1 .मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग के अन्तर्गत रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ,मध्यप्रदेश भोपाल के नियंत्रण में कार्य । कार्यालय का मूल उद्देश्य साहित्यिक,शैक्षणिक,वैज्ञानिक,खेराती एवं जन कल्याणकारी तथा अन्य सोसायटी का पंजीयन एवं अधिनियम के अंतर्गत वार्षिक जानकारी। इसके अतिरिक्त व्यापारिक उपक्रमों में भागीदारी से चलने वाली फर्मों के भागीदारों व फर्म की स्थिति में परिवर्तन की स्थिति में जानकारी को रेकार्ड पर लेना । उपरोक्त कार्यों को करने के लिये राज्य शासन द्वारा इस कार्यालय को निम्न दो अधिनियमों के प्रशासन का कार्य सौंपा गया :-</p> <p>(अ) मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 एवं नियम 1998 की धारा 6,7,10,12,13,16,17,18,25,(2)27,28,29,31,37,38, व 39 के प्रावधानों के तहत प्रकरणों पर कार्यवाही करना ।</p> <p>(ब) भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करना । इस अधिनियम के अंतर्गत साझेदारी में व्यवसाय करने वाले फर्म को पंजीयन कराने हेतु आवश्यक है,कि फर्म में कम से कम दो अधिकतम 20 व्यस्क व्यक्ति भागीदारी के रूप में होना अनिवार्य है एवं भागीदारी में समय – समय पर हाने वाले परिवर्तनों को रेकार्ड पर लिया जाता है । आवश्यक होने पर संबंधित फर्म के प्रलेखों की नकल प्राप्त की जा सकती है ।</p> <p>2. इस कार्यालय का उज्जैन संभाग के अन्य किसी जिले में कोई कार्यालय नहीं है । इस कार्यालय में रतलाम , मंदसौर , नीमच, शाजापुर, देवास और उज्जैन जिले के राजस्व क्षेत्र में उक्त दोनों अधिनियमों के प्रावधानों के तहत कार्य किया जाता है ।</p>	
2	लेखा एवं स्थापना	कर्मचारियों के वेतन,भत्ते यात्रा आदि एवं अन्य प्रशासनिक व्यय संबंधी कार्य ।	

3	स्टोर	कार्यालयीन स्टेशनरी विविध वस्तु ।	
4	रेकार्ड रूम	फर्म एवं संस्थाएँ की मूल नस्ती / रिटर्न नस्तियाँ / संबंधित अन्य नस्तियाँ	

..3..

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) की बिन्दु 2 की जानकारी

सरल	नाम	पद	वेतनमान	कर्त्तव्य
(1)	श्री आलोक नागर	सहायक पंजीयक	8000-275-13500	(ए) कार्यालयीन प्रशासन (बी) आहरण एवं संवितरण (सी) कर्मचारियों के नियंत्रण अधिकारी (डी) मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 नियम 1998 में निम्न धाराओं के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण धारा 6,7,10,12,13,16,17,18,25 (2),27,28,29,31,37,38 व 39 के प्रावधानों के तहत प्राप्त प्रकरणों पर कार्यवाही करना ।(ई) भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के तहत प्राप्त प्रकरणों पर कार्यवाही करना ।
(2)	श्री संजय चिवण्डे	निरीक्षक	5000-150-8000	(ए) सहायक पंजीयक क अनुपस्थिति में कार्यालयीन प्रशासनिक देख रेख । (बी) सौपे गये जॉच,निरीक्षण,आडिट एवं निर्वाचन संबंधी कार्य । (सी) उज्जैन जिले की संस्था पंजीयन,रिटर्न,संशोधन,शिकायत के प्रकरणों पर परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित करना । (डी) उज्जैन जिले की फर्म पंजीयन,परिवर्तन,विघटन के प्रकरणों का परीक्षण व कार्यवाही प्रस्तावित करना । (ई) कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी पर आवश्यक देख रेख ।
(3)	श्री अशोक कुमार	आडीटर	5000-150-8000	(ए) सौपे गये जॉच,आडिट,निरीक्षण एवं निर्वाचन आदि कार्य ।

जैन				(बी) मन्दसौर, नीमच, रतलाम, जिले से संबंधित सोसायटी पंजीयन संशोधन, रिटर्न, शिकायतों के प्रकरणों का परीक्षण एवं आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित करना । (सी) फर्म पंजीयन, परिवर्तन, विघटन संबंधी मन्दसौर, रतलाम, नीमच जिले की प्रकरणों का परीक्षण कर कार्यवाही प्रस्तावित करना ।
-----	--	--	--	--

..4..

सरल क्रमांक	नाम	पद	वेतनमान	कर्तव्य
4.	श्री हरीश जीनवाल	आडीटर	4500-125-7000	(ए) सौंपे गये जॉच, आडिट, निरीक्षण एवं निर्वाचन आदि संबंधी कार्य । (बी) शाजापुर जिले की सोसायटी पंजीयन, संशोधन, रिटर्न, शिकायतों के प्रकरणों का परीक्षण एवं आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित करना । (सी) शाजापुर जिले की फर्म पंजीयन, परिवर्तन, विघटन के प्रकरणों का परीक्षण व आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित करना । (डी) लेखा, स्थापना कक्ष के समस्त कार्य ।
5.	श्री ज्ञानेश्वर सिंह	सहायक ग्रेड-2	4000-100-6000	(ए) कार्यालय मे प्राप्त पत्र, प्रस्ताव व प्रकरणों का आवक व जावक । (बी) संस्था व फर्म के मूल रेकार्ड को सुव्यवस्थित रखना व रेकार्ड की सुव्यवस्थित संधारण । (सी) नकल प्रकरणों को तैयार कर प्रस्तावित करना ।
6.	श्री धर्मेन्द्र कुमार सेन	सहायक ग्रेड-3	3050-4500	(ए) टायपिंग कार्य । (बी) देवास जिले से संबंधित संस्था पंजीयन निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही करना, तथा निरस्त की गई संस्थाओं के रेकार्ड का संधारण करना ।

				(सी) देवास जिले की फर्म पंजीयन, परिवर्तन, विघटन के प्रकरणों का परीक्षण व आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित करना ।
7.	श्री सत्यनारायण वर्मा	भृत्य	2550-55-3200	(ए) कार्यालय को समय पूर्व खोलना व समय उपरांत बन्द करना । (बी) कार्यालयीन समय में पद अनुरूप सौंपे गये कार्य करना ।
8.	पद रिक्त	प्रोसेस सर्वेन्ट	2550-55-3200	पद रिक्त है ।
9.	श्री आशुतोष शर्मा	दै.वे.भोगी चौकीदार	जिला उज्जैन कलेक्टर द्वारा निर्धारित	चौकीदार के कार्यों का सम्पादन करना ।
10.	श्री लालबहादूर पटेल	दै.वे.भोगी फर्शा	जिला उज्जैन कलेक्टर द्वारा निर्धारित	कार्यालय की साफ सफाई व फर्शा के कार्य सम्पादित करना ।

..5..

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) (बी) की बिन्दु क्रमांक 3 की जानकारी :-

क्रमांक	प्रारम्भिक रूप से संबंधित नस्ती प्रस्तुत करने वाला कक्ष धारक	किसके माध्यम से किसको प्रस्तुत की जावेगी	निर्णय लेने वाला अधिकारी
1.	निरीक्षक :- सौंपे गये प्रकरणों को स्पष्ट अभिमत एवं कानूनी प्रावधानों को दर्शाते हुए आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे ।	सीधे सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं,	सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं, उज्जैन संभाग
2.	आडीटर :- सौंपे गये प्रकरणों को स्पष्ट अभिमत एवं कानूनी प्रावधानों को दर्शाते हुए आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे ।	सीधे सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं	सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं, उज्जैन संभाग
3.	सहायक ग्रेड-2:- सौंपे गये प्रकरणों को स्पष्ट अभिमत एवं कानूनी प्रावधानों को दर्शाते हुए आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे ।	सीधे सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं	सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं, उज्जैन संभाग
4.	सहायक ग्रेड-3:- सौंपे गये प्रकरणों को स्पष्ट	आडीटर/निरीक्षक के माध्यम से	सहायक पंजीयक फर्म्स एवं

अभिमत एवं कानूनी प्रावधानों को दर्शाते हुए आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे ।	संस्थाएं, उज्जैन संभाग
---	------------------------

उत्तरदायित्व :-

- (1) निरीक्षक/आडिटर/सहायक ग्रेड-2/सहायक ग्रेड-3 का उनके कक्षों से संबंधित समस्त नस्तियों का सुव्यवस्थित संधारण तथा सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व होगा ।
- (2) लेखा कक्ष से सम्बन्धित आडिटर का समस्त देयक व्हाऊचर, केश बुक, हिसाब किताब अपटूडेट रखने का उत्तरदायित्व होगा ।
- (3) भृत्य :- समय पर कार्यालय खोलना व बंद करना ।
- (4) चौकीदार :- चौकीदारी से संबंधित समस्त कार्य हेतु उत्तरदायी रहेंगे ।
- (5) फर्दाश :- कार्यालय के साफ सफाई संबंधी कार्यों हेतु एवं उनको सौंपे गये कार्यों हेतु उत्तरदायी रहेंगे ।

सुपरवाइजरी अथारिटी :- कार्यालयीन निरीक्षक समस्त कार्यों की देख रेख करेंगे तथा सहायक पंजीयक को रिपोर्ट करेंगे ।

..6..

अधिकारी जिसके प्रति उत्तरदायी होंगे :-

निरीक्षक तथा समस्त कर्मचारी सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं, उज्जैन संभाग के प्रति उत्तरदायी होंगे ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) की बिन्दु 4 की जानकारी :-

- (1) कार्यालय प्रमुख सहायक पंजीयक द्वारा अधिनस्थ कर्मचारियों के कार्य विभाजन संबंधी आदेश प्रशासनिक आवश्यकतानुसार समय समय पर जारी किये जायेंगे तदनानुसार कार्यालय के कार्यों का सुव्यवस्थित निष्पादन किया जावेगा ।
- (2) सिटीजन चार्टर तथा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा ।

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन प्राप्त निम्न प्रकरण :-

<u>क्रमांक</u>	<u>कार्यवाही का नाम</u>	<u>समय सीमा</u>
1.	धारा 7 के तहत पंजीयन की कार्यवाही	15 कार्य दिवस
2.	अधिनियम की धारा 10 के अधीन प्राप्त संशोधन	15 कार्य दिवस
3.	अधिनियम की धारा 27 के अधीन प्राप्त आवेदन	15 कार्य दिवस
4.	अधिनियम की धारा 29 में नकल आवेदन	20 कार्य दिवस

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के तहत प्राप्त निम्न प्रकरण :-

<u>क्रमांक</u>	<u>कार्यवाही का नाम</u>	<u>समय सीमा</u>
1.	धारा 59 के अधीन फर्म पंजीयन	15 कार्य दिवस
2.	अधिनियम की धारा 60,61,62,63, एवं 64 के अधीन फर्म की रचना में परिवर्तन संशोधन	30 कार्य दिवस
3.	धारा 67 के तहत फर्म नकल आवेदन	15 कार्य दिवस

..7...

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) की बिन्दु 5 की जानकारी :-

1. अधिनियम :- मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973
2. भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932

नियम :- मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 संशोधित नियम 1998
भारतीय भागीदारी नियम

परिपत्र:- मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी परिपत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) की बिन्दु 6 की जानकारी :-

सरल क्रमांक	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का प्रकार	दस्तावेज की प्रकृति एवं रेकार्ड की अवधि
(1)	उज्जैन संभाग उज्जैन के राजस्व क्षेत्र में पंजीकृत संस्थाओं तथा फर्मों की मूल नस्तियाँ एवं रजिस्टर ।	मूल नस्ती एवं पंजीयन रजिस्टर तथ कम्प्यूटर द्वारा संधारित रेकार्ड ।	स्थाई रेकार्ड
(2)	पंजीकृत संस्थाओं की धारा 27 व 28 की विवरणीकाएँ,की रिटर्न नस्तियाँ ।	रिटर्न नस्ती के रूप में ।	स्थाई रेकार्ड
(3)	न्यायालयीन प्रकरणों की नसती	न्यायालयीन नस्ती	स्थाई रेकार्ड
(4)	लेखा तथा स्थापना से सम्बन्धित नस्तियाँ ।	बिल,व्हाऊचर्स,केश बुक बिल रजिस्टर ,चेक रजिस्टर	स्थाई रेकार्ड
(5)	अधिनस्थ कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका।	सेवा पुस्तिका	स्थाई रेकार्ड

...8...

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) की बिन्दु 7 की जानकारी :-

वर्तमान में इस कार्यालय में कोई विभागीय परामर्शदात्री समिति का गठन नहीं है ।
सूचना

का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) की बिन्दु 8 की जानकारी :-

कार्यालय के अन्तर्गत कोई बोर्ड,कौंशिल,कमेटी अथवा अन्य कोई निकाय का गठन नहीं किया गया है ।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) की बिन्दु 9 की जानकारी :-

इस कार्यालय में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों की डायरेक्टरी

क्रमांक	नाम	पद	पता एवं दूरभाष क्रमांक
1.	श्री आलोक नागर	सहायक पंजीयक	जी-2/10 ज्योति नगर रोड़ फ्रीगंज उज्जैन दूरभाष निवास:-0734-2530195
2.	श्री संजय चिवण्डे	निरीक्षक	म.नं.304 गली नं. 8 शिव मंदिर के सामने शास्त्री नगर उज्जैन
3.	श्री अशोक कुमार जैन	आडीटर	म.नं.सी-47/8 ऋषि नगर एक्सटेंशन जैन मंदिर के सामने उज्जैन दूरभाष क्रमांक 0734-2516684
4.	श्री हरीश जीनवाल	आडीटर	01/2 किशनपुरा मक्सी रोड उज्जैन
5.	श्री ज्ञानेश्वर सिंह	सहायक ग्रेड-2	एफ/42 ऋषि नगर उज्जैन
6.	श्री धर्मेन्द्र कुमार सेन	सहायक ग्रेड-3	टी-7 मुनी नगर उज्जैन
7.	श्री सत्यनारायण वर्मा	भृत्य	57/2 राजेन्द्र नगर पुष्कर स्कूल के पास उज्जैन
8.	श्री आशुतोष शर्मा	दै.वे. भोगी(चौकीदार)	श्री गजानन्द सोनी का मकान,धीरज ज्वेलर्स,वेद नगर उज्जैन
9.	श्री लालबहादुर पटेल	दै.वे.भोगी (फर्शा)	मं.नं.250/7 जयसिंह दरबार के सामने शास्त्री नगर उज्जैन

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) की बिन्दु 10 की जानकारी :-
कार्यालय में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते की जानकारी

क्रमांक	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद	वेतनमान	मूल वेतन	रिमार्क
1-	श्री आलोक नागर	सहायक पंजीयक	8000-275-13500	11025	समय समय पर देय मंहगाई भत्ता तथा नगर क्षतिपूर्ति भत्ता दिया जाता है ।
2-	श्री संजय चिवण्डे	निरीक्षक	5000-150-8000	6050	
3-	श्री अशोक कुमार जैन	आडीटर	5000-150-8000	7700	
4-	श्री हरीश जीनवाल	आडीटर	4500-125-7000	4500	
5-	श्री ज्ञानेश्वर सिंह	सहायक ग्रेड-2	4000-100-6000	4500	
6-	श्री धर्मेन्द्र कुमार सेन	सहायक ग्रेड-3	3050-75-3560-80-4500	3550	
7-	श्री सत्यनारायण वर्मा	भृत्य	2550-55-2660-60-3200	3140	

दैनिक वेतन भोगी मजदूर

- 1- श्री आशुतोष शर्मा
- 2- श्री लालबहादू पटेल

चौकीदार
फर्शाश

कलेक्टर उज्जैन द्वारा निर्धारित 2308
कलेक्टर उज्जैन द्वारा निर्धारित 2308

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) की बिन्दु 11 की जानकारी :-
इस कार्यालय को वर्ष 2005-06 में आवंटित बजट की जानकारी:-

क्रमांक	मद क्रमांक	मद का नाम	बजट आवंटन राशि	
1-	11	001 वेतन	4,28,000	1,77,500
2-	11	003 मंहगाई भत्ता	2,23,000	96,576
3-	11	008 अन्य भत्ते	15,000	5,599
4-	12	मजदूरी	56,000	21,843
5-	21	यात्रा व्यय	25,000	निरंक
6-	22	001 डाक टिकिट	25000	15,000
7-	22	002 दूरभाष व्यय	13,000	3,600
8-	22	004 पत्र पत्रिकाएँ	5,000	2,884
9-	22	005 विद्युत व्यय	17,000	2,472
10-	22	006 बर्दिया	3,000	निरंक
11-	22	007 स्टेशनरी	17,000	2,302
12-	22	008 आकस्मिक	3,000	निरंक
13-	22	011 भवन किराया	43,000	10,500
14-	24	002 प्रशिक्षण	2,000	निरंक
15-	33	005 मशीन रिपेयर	1,000	निरंक

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) की बिन्दु 12 की जानकारी

इस कार्यालय द्वारा योजनाओं का संचालन नहीं किया जाता है । इस कारण बजट आवंटन नहीं है एवं सबसिडी कार्यक्रम तथा हितग्राहियों से संबंधित गतिविधियों का आयोजन नहीं किया जात है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (1) (बी) की बिन्दु 13 की जानकारी :-

इस कार्यालय द्वारा कंस्ट्रेशन,परमिट या मान्यता अथवा अनुदान प्रदाय अथवा स्वीकृत नहीं किया जाता है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) की बिन्दु 14 की जानकारी :-

इस कार्यालय की जानकारियों को इंटरनेट के माध्यम से तथा सी.डी. के रूप में रेकार्ड रखे जाने की योजना प्रस्तावित है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) की बिन्दु 15 की जानकारी :-

सरल क्रमांक	सुविधा का नाम	प्रभारी का नाम	समय
1— से	संस्थाओं से संबंधित पंजीयन के माडल बायलाज,धारा 27 का	श्री ज्ञानेश्वर सिंह	प्रातः 10.30
सांय 5.30 तक	फार्म संशोधन फार्म,धारा 21 का फार्म,निःशुल्क प्रदाय किये जाते है ।	सहायक ग्रेड-2	
2— 30 तक	भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के तहत पंजीयन फार्म नं.1 से एवं पंजीयन उपरांत फर्म की रचना में परिवर्तन संबंधी फार्म नं.2	श्री ज्ञानेश्वर सिंह सहायक ग्रेड-2	प्रातः 10.30 सांय 5.

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) की बिन्दु 16 की जानकारी :-

क्रमांक नाम व पद	पद	टेलीफोन नम्बर कार्यालय निवास	कार्य का स्थान व पता	जन साधारण सम्पर्क का समय
1-श्री आलोक नागर सहायक पंजीयक	लोक सूचना अधिकारी	2561168	फर्म्स एवं कार्यालय सहायक पंजीयक संस्थाएँ उज्जैन संभाग उज्जैन, माधव क्लब रोड़ फ्रीगंज उज्जैन	प्रातः 10.30 से सांय 5.30 तक
2-श्री संजय चिवण्डे निरीक्षक	सहायक लोक सूचना अधिकारी	2561168	फर्म्स एवं कार्यालय सहायक पंजीयक संस्थाएँ उज्जैन संभाग उज्जैन, माधव क्लब रोड़ फ्रीगंज उज्जैन	प्रातः 10.30 से सांय 5.30 तक

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) की बिन्दु 17 की जानकारी :-

कार्यालयीन समय प्रातः 10.30 से सांयकाल 5.30 बजे तक भोजन अवकाश दोपहर 1.30 से 2.00 तक । द्वितीय शनिवार, तृतीय शनिवार प्रत्येक रविवार शासन द्वारा घोषित अवकाश व जिला कलेक्टर उज्जैन द्वारा घोषित स्थानीय अवकाश के दिन कार्यालय बन्द रहेगा ।

कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 तथा भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अधिन कार्यवाही की जाती है । सभी शुल्क शासकीय कोषालय अथवा शासकीय लेन देन हेतु अधिकृत बैंक में निम्न लेखा शीर्ष में चालान जमा कर शुल्क प्राप्ति की जाती है :-

1475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ, 200-अन्य व्यापारिक उपक्रमों का विनियमन

- ए— संस्था पंजीय शुल्क रूपये 1000
बी— महिला मण्डल पंजीयन शुल्क रूपये 200
सी— युवा मण्डल पंजीयन शुल्क रूपये 100
डी— सभी संस्थाओं को धारा 27 के अन्तर्गत वार्षिक साधारण सभा बैठक की जानकारी समयावधि में प्रस्तुत करने का शुल्क रूपये 200
ई— उक्त धारा 27 की जानकारी का विलम्ब शुल्क प्रतिवर्ष रूपये 200
एफ— धारा 28 के तहत समयावधि में शुल्क लेखा-जोखा का प्रतिवर्ष शुल्क रूपये 200
जी— धारा 28 का विलम्ब शुल्क प्रतिवर्ष रूपये 200
एच— ज्ञापन/विधान में संशोधन का शुल्क प्रत्येक संशोधन रूपये 200
आई— नकल शुल्क अत्यावश्यक 40 रूपये प्रति पृष्ठ
जे— नकल शुल्क सामान्य प्रति पृष्ठ रूपये 20
के— फर्म पंजीयन शुल्क रूपये 525
एल— फर्म की रचना में परिवर्तन शुल्क प्रत्येक परिवर्तन शुल्क रूपये 125
एम— नकल शुल्क फर्म प्रति 100 शब्द 11 रूपये
एन— फर्म नकल 5 दिवस के भीतर चाहे जाने पर नकल शुल्क दोगुना
ओ— सोसायटी निरीक्षण प्रति विवरणी शुल्क रूपये 100
पी— निरीक्षण प्रति मूल फाईल,रिटर्न फाईल प्रति संस्था प्रति रजिस्टर /फाईल रूपये 100
क्यू— फर्म का रजिस्टर/नस्ती निरीक्षण शुल्क रूप